



“लॉक्ज की प्रसिद्धि एक अमूल्य संपद है जो हमारे सहयोगियों की वर्षों की कड़ी मेहनत और एक जिम्मेदार कंपनी और एक अच्छा कॉर्पोरेट नागरिक होने के प्रति हमारे समर्पण के माध्यम से अर्जित की गई है। हमें अपनी प्रसिद्धि पर गर्व है, और विश्वास है कि प्रत्येक सहयोगी, अधिकारी और निर्देशक सही काम करने के प्रति लॉक्ज की प्रतिबद्धता को साझा करते हैं।“

-मार्विन आर. एलिसन, लॉक्ज के चेयरमन, अध्यक्ष और सीईओ

लॉक्ज की विक्रेता आचार संहिता

लॉक्ज की विक्रेता आचार संहिता (“वीसीसी”) उन सभी विक्रेताओं पर लागू होती है जो लॉक्ज की कंपनियों, इंक., या उसकी किसी सहायक और सहयोगी कंपनी (“लॉक्ज”) को सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं।

लॉक्ज को आपूर्ति करने वाले एक विक्रेता के रूप में, आपको लॉक्ज का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कर्मचारी हो या कोई तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता, के साथ बातचीत करते समय नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।

एक नैतिक आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए, विक्रेताओं को वीसीसी में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है, जिसमें उपहार और लाभ, भ्रष्टाचार विरोधी, जबरन श्रम और बाल श्रम पर रोक, कार्यस्थल का स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और पर्यावरण मानक भी है।

रिपोर्टिंग चैनल

वीसीसी के किसी भी संदिग्ध उल्लंघन की सूचना लॉक्ज को निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से स्थानीय भाषा में गोपनीय रूप से दी जा सकती है:

इंटरनेट के जरिए: www.ethicspoint.com

ईमेल के माध्यम से: Compliance@lowes.com

टेलीफोन के माध्यम से:

भारत: ०००-८००-१००-१०७१ या ०००-८००-००१-६११२

आप वीसीसी की एक प्रति www.loweslink.com पर, या ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं: Compliance@lowes.com।

हम लॉक्ज के अनुपालन कार्यक्रम में आपके सहयोग और समर्थन की सराहना करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न या चिंता हो तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।